भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

सत्यमेव जयते

(37)
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र
Regional Office, Western Region
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"
"Kendriya Paryavaran Bhavan
लिन्क रोड नं0–3, Link Road No. 3
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,
भोपाल (म0प्र0)/Bhopal-462016 (M.P.)
फोन–0755-2466525, 2463102 (Fax), 2465496
अणुडाक /E-mail: apccfbhopal@gmail.com

कमांक: 6-MPC 042/2012-BHO/ 633

15-04-2013

प्रति,

अपर मुख्य सचिव (वन)
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग, वल्लभ भवन,
भोपाल (म0प्र0) ।

विषयः सिंगरौली जिले के अन्तर्गत ग्राम--खम्हरिया एवं परसदेही की 10.760 हे0 राजस्व वनभूमि में 765/400 के0 व्ही0 उपकेन्द्र निर्माण हेतु मुख्य महाप्रबंधक, पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को उपयोग पर देने बाबत् ।

संदर्भः 1. इस कार्यालय का पत्रांक 6–एमपीसी 042/2012–बीएचओ/1902 दिनांक 05/12/2012
2 अपर प्रधान मु0व0सं0(भू–प्रबंध),एवं नोडल अधिकारी, म0प्र0 का पत्रांक एफ–4/11/32/2012/10–11/1037 दिनांक 19/3/13
3. Officer on Special Duty, MoEF (Ad-hoc CAMPA), MoEF, New Delhi letter no. 1-20/2013-CAMPA dated 03/04/2013

महोदय,

कृपया अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश के उक्त विषयक पत्रांक एफ–4/11/32/2012/10–11/2514 दिनांक 30/07/2012 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए, इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तो के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से सिंगरौली जिले के अन्तर्गत ग्राम--खम्हरिया एवं परसदेही की 10.760 हे0 राजस्व वनभूमि में 765/400 के0 व्ही0 उपकेन्द्र निर्माण हेतु मुख्य महाप्रबंधक, पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को वनेत्तर उपयोग के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा--2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है:–

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2. वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर 22.00 हे0 अवकमित वनभूमि (कक्ष कमांक 240, उज्जैनी, वन परिक्षेत्र–बरगवां, जिला–सिंगरौली) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।

3. परियोजना के अन्तर्गत अधिकतम केवल 148 वृक्षों का पातन किया जायेगा । वृक्षों की कटाई कम से कम करने का प्रयास किया जायेगा । वृक्षों का पातन संबंधित वनमण्डलाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा ।

.........2

KARTIK/APP/ORDER/OTHERS

आवक क्र. 369
दिनांक 17-4-2013

4. केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना व्यपवर्तन हेतु प्रदाय की गयी वनभूमि में उक्त उद्धेश्य के अतिरिक्त अन्य कार्य नहीं किये जायेंगे ।

5. निर्माण के दौरान वनक्षेत्रों से कोई निर्माण सामग्री अथवा मिट्टी प्राप्त नहीं की जायेगी न ही निर्माण के कारण उत्पन्न होने वाला कचरा (debris) वनक्षेत्रों में फेका जायेगा ।

6. संलग्न वनक्षेत्र में परियोजना के कियान्वयन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये कोई अतिरिक्त या नये मार्ग का निर्माण नहीं किया जायेगा ।

7. वनक्षेत्र में श्रमिकों के कैम्प स्थापित नहीं किये जायेंगे ।

8. उपयोगकर्ता अभिकरण सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा अथवा उसके द्वारा कार्य पर लगाये गये मजदूरों, ठेकेदारों द्वारा वनों तथा वन्यप्राणियों को कोई हानि नहीं की जाती ।

9. परियोजना हेतु लागू समस्त वैधानिक अधिनियमों व नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा ।

10. वनीकरण, वन्यप्राणियों अथवा वनस्पितियों के संरक्षण तथा प्रबंधन के हित में केन्द्र शासन अथवा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पश्चिम क्षेत्रीय, भोपाल द्वारा समय–समय पर अधिरोपित की गयी अन्य शर्तों का पालन उपयागकर्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा ।

11. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वनअधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित विभिन्न नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अन्तर्गत अन्य समस्त शर्तों के अनुपालन उपरांत ही वनभूमि का हस्तांतरण राज्य शासन, वन विभाग द्वारा किया जायेगा ।

12. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का पालन न होने की स्थिति में संबंधित वनमण्डलाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अन्तर्गत 25/10/1992 को जारी दिशा निर्देशों की कंडिका 1.9 के अनुसार राज्य शासन के माध्यम से इस कार्यालय को सूचना दी जायेगी । इन शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लघंन को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघंन मानकर कार्यवाही की जायेगी ।

राज्य शासन उपरोक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा ।

भवदीय,

(एस0के0 भण्डारी)
मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपिः

1. निदेशक (एफ0सी0) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू–सर्वे) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. वनमण्डलाधिकारी, (सामान्य) वनमण्डल सिंगरौली, जिला–सिंगरौली, मध्यप्रदेश ।
4. मुख्य महाप्रबंधक, पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमि0, विन्ध्य नगर, जिला–सिंगरौली, मध्यप्रदेश ।
5. आदेश पत्रावली ।

(एस0के0 भण्डारी)
मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)

मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

17/4/13